"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."




# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई 2013—आषाढ़ 28, शक 1935

विषय—सूची



# भाग १

## राज्य शासन के आदेश

### सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 जून 2013

क्रमांक ई-01-01/2013/एक/2.—डॉ. बी. एस. अनंत, भा.प्र.से. (सी.जी.: 1993), सचिव, वन विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**सुनिल कुमार**, मुख्य सचिव.



संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

नया रायपुर, दिनांक 29 जून 2013

क्रमांक ई-1-6/2013/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एस. पी. शोरी, भा.प्र.से. (सीजी: 2000) द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 01-05-2013 के प्रकाश में, अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं) नियमावली, 1958 के नियम-16(2) के अंतर्गत उन्हें दिनांक 01-08-2013 से सेवानिवृत्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ऋतु सैन**, संयुक्त सचिव.

---

## गृह (पुलिस) विभाग
### मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 जून 2013

क्रमांक एफ 1-27/दो गृह/भापुसे/2013.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अंकित गर्ग, (भा.पु.से.-2004) सहायक पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन/चयन, पु.मु., छ.ग., रायपुर को दिनांक 10 06 2013 से 22 06 2013 तक (कुल 13 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 08, 09 एवं 23-06-2013 के शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. श्री गर्ग को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री अंकित गर्ग, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन/चयन, पु.मु. रायपुर (छ.ग.) के पद पर पदस्थ होंगे.

4. श्री अंकित गर्ग, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन/चयन, पु.मु. रायपुर छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में सहायक पुलिस महानिरीक्षक प्रशासन चयन, पु.मु. रायपुर का प्रभार श्री प्रवीर कुमार दास, (भापुसे.) सेनानी 4थीं वाहिनी, छ.स.बल, माना रायपुर को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अंकित गर्ग, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन/चयन, पु.मु. रायपुर, अवकाश पर नहीं जाते तो पद पर बने रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**विलियम कुजूर**, उप-सचिव.

---

रायपुर, दिनांक 24 जून 2013

### संशोधन आदेश

क्रमांक एफ 3-50/2009/गृह-2.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 14-09-2009 में उल्लेखित "अर्द्ध सैनिक बलों एवं भारतीय वायुसेना टीम के लिए लॉजिस्टिक एवं अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में त्वरित निर्णय लेने हेतु शासन स्तर पर एम्पावर्ड कमेटी" के स्थान पर "आंतरिक सुरक्षा हेतु एम्पावर्ड कमेटी" पढ़ा जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**पी. डी. पुरबिया**, अवर सचिव.

## वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
### मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2013

क्रमांक एफ 8-6/2007/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित कोरबा के बॉयलर क्रमांक एम.पी./3555 को दिनांक 23-05-2013 से 22-06-2013 (अर्थात् 01 माह) तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से अतिरिक्त छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**व्ही. के. छबलानी,** विशेष सचिव.

---

## स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
### मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2013

क्रमांक एफ 21-03/2003/नौ/55.—छत्तीसगढ़ राज्य के लिये लागू हुए रूप में प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम क्र. 57) की धारा 15 सहपठित धारा 17 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ 21-3/2003/नौ/55, दिनांक 13 मई, 2003 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नानुसार तीन सदस्यीय राज्य स्तरीय समुचित प्राधिकारी नियुक्त करती है :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | संचालक (पदेन)<br>स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़ | — | अध्यक्ष |
| 2. | उप सचिव (पदेन)<br>छत्तीसगढ़ शासन, विधि विभाग | — | सदस्य |
| 3. | डॉ. जयश्री दवे, रायपुर<br>(पूर्व संयुक्त संचालक) | — | सदस्य |

No. F-21-03/2003/NINE/55.—In exercise of the powers conferred by Section 15 read with clause (a) of sub-section (3) of Section 17 of the Pre-natal Diagnostic Technivues (Regulation and Prevention of Misuse) Act, 1994 (Act No. 57 of 1994), in its application to the State of Chhattisgarh and in supersession of previous Notification No. F-21-3/2003/IX/55, dated 13th May, 2003 of this Department, the State Government, hereby, appoints three member State Level Appropriate Authority, as follows :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Director (Ex-Officio)<br>Health Services, Chhattisgarh | — | Chairman |
| 2. | Deputy Secretary (Ex-Officio)<br>Government of Chhattisagrh, Law Department. | — | Member |
| 3. | Dr. Jaishree Dave, Raipur<br>(Ex-Joint Director) | — | Member |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एम. एम. मिंज,** उप-सचिव.

## कृषि विभाग
### मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 अप्रैल 2013

क्रमांक/डी-15/116(पार्ट-2)/2004/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा-69 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा प्रसंस्करणकर्ता द्वारा राज्य के बाहर से प्रसंस्करण हेतु लाये गये दलहन एवं गेहूं पर दिनांक 01-04-2013 से 31-03-2015 तक की कालावधि के लिए मण्डी शुल्क से उक्त अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (1) के अधीन पूर्णतः छूट प्रदान करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**प्रदीप कुमार दवे,** उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 अप्रैल 2013

क्रमांक/डी-15/116(पार्ट-2)/2004/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/डी-15/116(पार्ट-2)/2004/14-2 दिनांक 03-04-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**प्रदीप कुमार दवे,** उप-सचिव.

Raipur, the 3rd April 2013

No. D-15/116(Part-II)/2004/14-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 69 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) the State Government hereby exempts full Market Fees (Under Sub-section (1) of Section 19 of the said Act) on the pulses and wheat which are brought by processors from out side of the State for processing for the period from 01-04-2013 to 31-03-2015.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Deputy Secreta

# राजस्व विभाग

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 1 जुलाई 2013

क्रमांक/4479/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजनांदगांव | राजनांदगांव | नंदई प. ह. नं. 27 | 1.565 | कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव. | राजनांदगांव बायपास मार्ग निर्माण हेतु. (पूरक प्रकरण) |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 1 जुलाई 2013

क्रमांक/4480/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजनांदगांव | राजनांदगांव | रेवाडीह प. ह. नं. 23 | 2.413 | कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव. | राजनांदगांव बायपास मार्ग निर्माण हेतु. (पूरक प्रकरण) |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 1 जुलाई 2013

क्रमांक/4481/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजनांदगांव | राजनांदगांव | लखोली प. ह. नं. 26 | 3.033 | कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव. | राजनांदगांव बायपास मार्ग निर्माण हेतु. (पूरक प्रकरण) |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अशोक कुमार अग्रवाल,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

---

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 3 मई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 5/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | तमनार | बड़गांव प. ह. नं. 09 | 0.146 | कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़. | केलो परियोजना के डूबान क्षेत्र से प्रभावित निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अमित कटारिया,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
### राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 2 जुलाई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 63/अ-82/2010-2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बधनपुर, प.ह.नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-99.416 हे.

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 584 | 0.413 |
| 278/2 | 0.291 |
| 282 | 0.849 |
| 681/3 | 0.109 |
| 279/1 | 0.214 |
| 528/8ख | 0.202 |
| 533/4 | 0.024 |
| 531 | 0.053 |
| 532 | 0.053 |
| 286 | 0.267 |
| 287 | 0.761 |
| 288/1 | 0.741 |
| 324 | 0.445 |
| 496 | 0.113 |
| 500 | 0.101 |
| 640/1 | 0.069 |
| 726/2 | 0.089 |
| 634/1 | 0.239 |
| 696 | 0.016 |
| 709 | 0.049 |
| 729 | 0.109 |
| 688/3 | 0.186 |
| 526/1 | 0.129 |
| 600/2 | 0.053 |
| 674 | 0.202 |
| 688/5 | 0.129 |
| 327/1 | 0.485 |
| 327/5 | 0.138 |
| 327/6 | 0.049 |
| 327/7 | 0.045 |
| 327/20 | 0.142 |
| 327/21 | 0.073 |
| 327/22 | 0.072 |
| 533/1 | 0.121 |
| 533/3 | 0.057 |
| 569/1, 569/2 | 0.534 |
| 569/5 | 0.142 |
| 569/7 | 0.502 |
| 569/9 | 0.138 |
| 680/2, 680/4 | 0.279 |
| 518 | 0.142 |
| 519 | 0.032 |
| 525 | 0.162 |
| 526/2 | 0.032 |
| 526/3 | 0.093 |
| 521/7 | 0.079 |
| 524 | 0.158 |
| 523/1 | 0.215 |
| 667/1 | 0.061 |
| 672 | 0.352 |
| 676/2 | 0.252 |
| 523/2 | 0.097 |
| 547/2 | 0.101 |
| 528/11 | 0.077 |
| 657/4 | 0.129 |
| 699/10 | 0.028 |
| 737/3 | 0.053 |
| 683/1 | 0.058 |
| 675 | 0.340 |
| 683/2 | 0.059 |
| 547/1 | 0.105 |
| 654/1 | 0.166 |
| 659 | 0.113 |
| 665 | 0.231 |
| 667/2 | 0.028 |
| 686/3 | 0.607 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---|---|---|---|
| 688/1 | 0.154 | 291/14 | 0.283 |
| 688/4 | 0.259 | 291/17 | 0.081 |
| 617 | 0.101 | 291/19 | 0.121 |
| 668 | 0.166 | 327/3 | 0.113 |
| 664 | 0.121 | 327/4 | 0.049 |
| 669 | 0.166 | 569/6 | 0.101 |
| 684 | 0.117 | 533/2 | 0.040 |
| 690 | 0.049 | 569/8 | 0.081 |
| 657/2 | 0.045 | 502 | 0.065 |
| 657/3 | 0.049 | 622 | 0.089 |
| 657/7 | 0.190 | 629 | 0.134 |
| 557/8 | 0.182 | 327/23 | 0.312 |
| 661 | 0.032 | 657/6 | 0.057 |
| 701/2 | 0.029 | 328/3 | 0.203 |
| 702/1 | 0.093 | 330 | 0.101 |
| 701/1 | 0.154 | 506 | 0.162 |
| 279/2 | 0.534 | 510 | 0.251 |
| 334 | 0.182 | 530 | 0.243 |
| 534/1 | 0.619 | 553 | 0.061 |
| 577 | 0.138 | 555 | 0.093 |
| 494 | 1.352 | 611 | 0.101 |
| 495 | 0.251 | 648 | 0.081 |
| 497/1 | 0.210 | 655 | 0.105 |
| 597/4 | 0.182 | 666 | 0.097 |
| 597/2 | 0.182 | 671 | 0.162 |
| 597/3 | 0.182 | 673 | 0.081 |
| 280/2 | 0.263 | 682 | 0.243 |
| 601/2 | 0.223 | 714 | 0.121 |
| 291/2 | 0.668 | 280/1 | 0.692 |
| 291/11 | 0.080 | 280/3 | 0.085 |
| 291/13 | 0.170 | 325 | 0.162 |
| 291/16 | 0.129 | 538 | 0.255 |
| 291/18 | 0.170 | 539 | 0.121 |
| 327/14 | 0.081 | 583 | 0.547 |
| 327/2 | 0.474 | 587/1 | 0.158 |
| 327/13 | 0.227 | 590/1 | 0.150 |
| 329/3 | 0.502 | 591 | 0.162 |
| 569/4 | 0.219 | 601/1 | 0.178 |
| 521/1 | 0.156 | 610 | 0.174 |
| 521/6 | 0.036 | 612 | 0.129 |
| 522/1 | 0.109 | 331 | 0.271 |
| 527 | 0.020 | 613 | 0.247 |
| 681/2 | 0.211 | 647 | 0.219 |
| 701/3 | 0.092 | 333/1 | 0.045 |
| 291/3 | 0.210 | 596/1 | 0.243 |
| 291/8, 291/9 | 1.133 | 623 | 0.223 |
| 291/12 | 0.194 | | |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---|---|---|---|
| 641/1 | 0.020 | 636 | 0.097 |
| 657/1 | 0.109 | 638/3 | 0.045 |
| 699/1 | 0.369 | 643 | 0.061 |
| 710/1 | 0.053 | 637/1 | 0.057 |
| 333/2 | 0.073 | 644/1 | 0.016 |
| 333/3 | 0.069 | 699/15 | 0.048 |
| 503 | 0.065 | 706/1 | 0.097 |
| 508 | 0.263 | 639/4 | 0.401 |
| 624/3 | 0.073 | 639/3 | 0.607 |
| 653/3 | 0.069 | 291/1 | 0.967 |
| 689/3 | 0.210 | 291/10 | 1.348 |
| 550 | 0.117 | 291/15 | 0.081 |
| 552 | 0.109 | 327/15 | 0.251 |
| 554 | 0.081 | 327/18 | 0.174 |
| 557/1 | 0.045 | 680/1 | 0.376 |
| 557/2 | 0.040 | 507/2 | 0.607 |
| 557/3 | 0.121 | 511/1 | 0.113 |
| 558 | 0.146 | 511/3 | 0.267 |
| 579 | 0.190 | 537/3 | 1.251 |
| 581/1 | 0.460 | 631/3 | 0.312 |
| 734/1 | 0.409 | 596/3 | 0.268 |
| 734/2क | 0.202 | 713/1 | 0.203 |
| 597/5 | 0.121 | 713/2क | 0.202 |
| 603 | 0.073 | 689/1 | 0.227 |
| 605 | 0.049 | 638/1 | 0.024 |
| 614 | 0.146 | 640/4 | 0.020 |
| 483 | 0.049 | 645/3 | 0.138 |
| 505/2 | 0.057 | 656 | 0.154 |
| 608 | 0.093 | 645/1 | 0.263 |
| 609 | 0.093 | 645/2 | 0.263 |
| 640/3 | 0.263 | 639/1 | 0.606 |
| 722 | 0.320 | 639/5 | 0.401 |
| 616 | 0.089 | 581/2 | 0.659 |
| 618 | 0.125 | 581/3 | 0.150 |
| 619 | 0.012 | 293/35 | 0.565 |
| 620 | 0.073 | 332 | 0.336 |
| 621 | 0.081 | 551 | 0.093 |
| 663/1 | 0.065 | 576 | 0.506 |
| 631/1 | 0.429 | 703 | 0.259 |
| 715 | 0.198 | 534/2 | 0.307 |
| 632 | 0.401 | 497/2 | 0.008 |
| 637/2 | 0.057 | 293/9 | 0.341 |
| 644/2 | 0.036 | 578 | 0.142 |
| 719/1 | 0.113 | 589 | 0.182 |
| 723 | 0.024 | 328/1 | 0.024 |
| 633 | 0.295 | 521/5 | 0.106 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 582/1 | 0.081 |
| 634/2 | 0.235 |
| 635 | 0.049 |
| 693 | 0.016 |
| 695 | 0.032 |
| 728 | 0.113 |
| 291/4 | 0.214 |
| 327/10 | 0.178 |
| 327/11 | 0.101 |
| 292 | 0.089 |
| 327/8 | 0.142 |
| 327/9 | 0.065 |
| 327/12 | 0.069 |
| 569/3 | 0.239 |
| 638/1 | 0.024 |
| 293/3 | 0.384 |
| 293/4 | 0.606 |
| 293/5 | 0.161 |
| 293/6 | 0.606 |
| 293/10 | 0.283 |
| 293/33 | 0.081 |
| 293/7 | 0.323 |
| 293/11 | 0.303 |
| 293/12 | 0.767 |
| 293/15 | 0.162 |
| 293/17 | 0.787 |
| 293/18 | 0.526 |
| 293/19 | 0.122 |
| 293/23 | 0.485 |
| 293/20 | 0.122 |
| 293/22 | 0.377 |
| 293/24 | 0.526 |
| 293/32 | 0.283 |
| 293/26 | 0.122 |
| 293/29 | 1.393 |
| 293/30 | 0.202 |
| 514/1 | 0.049 |
| 514/5 | 0.150 |
| 600/1 | 0.113 |
| 327/16 | 0.138 |
| 329/1 | 0.136 |
| 329/2 | 0.182 |
| 326/1 | 0.170 |
| 481 | 0.081 |
| 493 | 0.668 |
| 509 | 0.049 |
| 692 | 0.028 |
| 699/8 | 0.061 |
| 712 | 0.045 |
| 725 | 0.024 |
| 499 | 0.259 |
| 628/1 | 0.097 |
| 638/4 | 0.049 |
| 732/1 | 0.073 |
| 333/4 | 0.170 |
| 606 | 0.182 |
| 624/4 | 0.170 |
| 625 | 0.065 |
| 626 | 0.032 |
| 504/2 | 0.105 |
| 505/1 | 0.057 |
| 677/1 | 0.105 |
| 678/1 | 0.198 |
| 505/3 | 0.053 |
| 678/2 | 0.190 |
| 679 | 0.109 |
| 507/1 | 0.053 |
| 529 | 1.263 |
| 535 | 0.210 |
| 536 | 0.214 |
| 511/2 | 0.121 |
| 631/2 | 0.551 |
| 702/2 | 0.028 |
| 511/4 | 0.247 |
| 537/1 | 0.344 |
| 537/2 | 0.194 |
| 537/4 | 0.372 |
| 514/2 | 0.340 |
| 528/1 | 0.243 |
| 528/4 | 0.101 |
| 528/6 | 0.202 |
| 528/9 | 0.089 |
| 627/3 | 0.032 |
| 680/5 | 0.094 |
| 686/2 | 0.081 |
| 628/2 | 0.057 |
| 512 | 0.040 |
| 514/3 | 0.040 |
| 704/2 | 0.036 |
| 719/2 | 0.117 |
| 649 | 0.894 |
| 652 | 0.206 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---|---|---|---|
| 653/1 | 0.105 | 705 | 0.049 |
| 667/3 | 0.138 | 727 | 0.304 |
| 700/2 | 0.567 | 734/5 | 0.081 |
| 688/2 | 0.275 | 736/2 | 0.101 |
| 699/13 | 0.053 | 710/3 | 0.057 |
| 699/20 | 0.040 | 721 | 0.121 |
| 694/2 | 0.101 | 737 | 0.142 |
| 704/1 | 0.057 | 736/1 | 0.304 |
| 707/1 | 0.061 | 708 | 0.045 |
| 706/3 | 0.097 | 559 | 0.142 |
| 710/4 | 0.057 | 556 | 0.186 |
| 716 | 0.113 | 627/3 | 0.032 |
| 727 | 0.304 | 624/2 | 0.089 |
| 734/3 | 0.101 | 642 | 0.061 |
| 734/6 | 0.016 | 520 | 0.162 |
| 278/1 | 0.583 | 288/2 | 0.170 |
| 698 | 0.049 | 289 | 0.247 |
| 699/9 | 0.057 | 680/3 | 0.182 |
| 699/17 | 0.214 | 328/2 | 0.113 |
| 699/18 | 0.036 | 582/2 | 0.048 |
| 699/7 | 0.061 | 531/4 | 0.126 |
| 699/19 | 0.214 | 653/2 | 0.105 |
| 699/21 | 0.922 | 689/2 | 0.210 |
| 700/3 | 0.324 | 726/1 | 0.089 |
| 717 | 0.109 | 731/1 | 0.071 |
| 598 | 0.089 | 731/2 | 0.071 |
| 599 | 0.129 | 596/2 | 0.272 |
| 713/2ख | 0.295 | 650 | 0.089 |
| 720 | 0.121 | 588 | 0.384 |
| 724 | 0.024 | 571 | 0.121 |
| 738 | 0.781 | 677/2 | 0.214 |
| 732/2 | 0.069 | 681/1 | 0.109 |
| 733 | 0.101 | 699/2 | 0.049 |
| 734/7 | 0.081 | 680/5 | 0.097 |
| 734/8 | 0.279 | 680/2 | 0.182 |
| 734/2घ | 0.789 | 680/4 | 0.098 |
| 734/2ख | 0.607 | 498 | 0.040 |
| 734/2ग | 0.061 | 501 | 0.065 |
| 634/4 | 0.085 | 513 | 0.057 |
| 663/2 | 0.065 | 540 | 0.445 |
| 627/2 | 0.117 | 548 | 0.202 |
| 699/14 | 0.040 | 549 | 0.202 |
| 707/2 | 0.057 | 560 | 0.142 |
| 630 | 0.129 | 590/1 | 0.150 |
| 646 | 0.202 | 585 | 0.028 |
| 694/1 | 0.243 | 587/2 | 0.154 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 590/2 | 0.162 |
| 590/3 | 0.065 |
| 588 | 0.384 |
| 595 | 0.413 |
| 607 | 0.539 |
| 514/6 | 0.198 |
| 514/4 | 0.061 |
| 528/3 | 0.142 |
| 528/5 | 0.121 |
| 686/1 | 0.162 |
| 528/7 | 0.040 |
| 657/5 | 0.024 |
| 699/11 | 0.081 |
| 699/12 | 0.073 |
| 606/2 | 0.040 |
| 710/2 | 0.036 |
| 736/4 | 0.049 |
| 515 | 0.700 |
| 521/2, 521/3 | 0.101 |
| 516 | 0.032 |
| 517 | 0.308 |
| 736/5 | 0.304 |
| 739/1 | 0.668 |
| 739/2 | 0.134 |
| 740/1 | 0.121 |
| 740/2 | 0.040 |
| 711 | 0.287 |
| 718 | 0.061 |
| 504/1 | 0.162 |
| 697 | 0.077 |
| 635 | 0.049 |
| 699/16 | 0.672 |
| 528/2 | 2.610 |
| 528/10 | 0.065 |
| 580 | 0.109 |
| 615 | 0.267 |
| 627/1 | 0.158 |
| 691 | 0.053 |
| 730 | 0.223 |
| 699/3 | 0.065 |
| 699/4 | 0.040 |
| 699/5 | 0.202 |
| 699/6 | 0.045 |

| | (1) | (2) |
|---|---|---|
| | 582/1 | 0.081 |
| | 279/3 | 0.445 |
| | 592 | 0.526 |
| | 593 | 0.405 |
| | 595 | 0.413 |
| | 528/8क | 0.182 |
| | 482 | 0.129 |
| | 691 | 0.053 |
| योग | 497 | 99.416 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 2 जुलाई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 65/अ-82/2010-2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-धनागर, प.ह.नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-143.316 हे.

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 4/2 | 0.109 |
| 6 | 0.267 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---|---|---|---|
| 147/3 | 0.223 | 61/19 | 0.047 |
| 300/2 | 0.085 | 312/19 | 0.057 |
| 300/3 | 0.040 | 312/20 | 0.047 |
| 90/1 | 0.265 | 312/21 | 0.117 |
| 98/1 | 1.336 | 51/1 | 0.056 |
| 133/1 | 0.511 | 51/2 | 0.060 |
| 7/2 | 0.121 | 51/3 | 0.048 |
| 34/2 | 0.198 | 51/4 | 0.150 |
| 7/3 | 0.202 | 51/5 | 0.046 |
| 7/7 | 0.146 | 51/6 | 0.345 |
| 7/11 | 0.121 | 51/7 | 0.045 |
| 24/1 | 0.125 | 51/8 | 0.082 |
| 26 | 0.105 | 7/8 | 0.146 |
| 65/5 | 0.454 | 49 | 0.324 |
| 65/2 | 0.805 | 63 | 0.227 |
| 162/2 | 0.075 | 64/2 | 0.065 |
| 291 | 0.214 | 36/3 | 0.202 |
| 65/3 | 0.805 | 255/3 | 0.065 |
| 67 | 0.142 | 97/3 | 0.364 |
| 83/1 | 0.121 | 134/3 | 0.049 |
| 65/6 | 0.138 | 134/5 | 0.085 |
| 50 | 0.809 | 134/8 | 0.045 |
| 311 | 0.834 | 134/11 | 0.085 |
| 65/7 | 0.134 | 134/15 | 0.061 |
| 112/6 | 0.154 | 134/13 | 0.255 |
| 164/8 | 0.032 | 3/3 | 0.081 |
| 275/2 | 0.121 | 3/4 | 0.093 |
| 65/9 | 0.057 | 3/5 | 0.247 |
| 273/1 | 0.024 | 8/3 | 0.279 |
| 89 | 0.202 | 20/1 | 0.423 |
| 33/2 | 0.117 | 43/1 | 0.043 |
| 33/3 | 0.053 | 48/1 | 0.086 |
| 33/4 | 0.073 | 77/1 | 0.091 |
| 246 | 0.125 | 100/1 | 0.634 |
| 288/2 | 0.008 | 122/1 | 0.676 |
| 66/4 | 0.049 | 32 | 0.401 |
| 295/2 | 0.283 | 92 | 0.194 |
| 245/2 | 0.240 | 153 | 0.615 |
| 304/2 | 0.154 | 250 | 1.438 |
| 296/2 | 0.202 | 259 | 1.598 |
| 266/2 | 0.208 | 285/1 | 0.364 |
| 244/3 | 0.080 | 317 | 0.069 |
| 115 | 0.097 | 22 | 0.081 |
| 51/31 | 0.085 | 65/4 | 0.219 |
| 53/5 | 0.047 | 65/8 | 0.040 |
| 61/18 | 0.176 | 23/1 | 5.656 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---|---|---|---|
| 104/1 | 0.408 | 109/6 | 0.063 |
| 149/1 | 0.356 | 255/11 | 0.010 |
| 251/1 | 1.336 | 255/15 | 0.021 |
| 265/1 | 1.881 | 255/19 | 0.014 |
| 263/1 | 0.137 | 31/11 | 0.021 |
| 270/1 | 1.404 | 31/12 | 0.021 |
| 315/1 | 0.374 | 31/13 | 0.022 |
| 23/4 | 0.405 | 31/17 | 0.022 |
| 64/4 | 0.061 | 36/23 | 0.014 |
| 64/5 | 0.024 | 36/27 | 0.010 |
| 70/5 | 0.733 | 258/3 | 0.121 |
| 111/10 | 0.182 | 148/2 | 0.057 |
| 73/2 | 0.020 | 154/3 | 0.065 |
| 134/2 | 0.045 | 318/5 | 0.061 |
| 134/6 | 0.047 | 318/58 | 0.202 |
| 134/12 | 0.133 | 249/4 | 0.146 |
| 134/14 | 0.109 | 261 | 0.194 |
| 74/3 | 0.210 | 260/2 | 0.142 |
| 117/2 | 0.099 | 318/2 | 0.191 |
| 76 | 1.338 | 318/6 | 0.820 |
| 123 | 0.150 | 318/7 | 0.521 |
| 276/1 | 0.132 | 318/18 | 0.167 |
| 79 | 0.332 | 318/8 | 0.405 |
| 96/1 | 0.251 | 318/9 | 0.405 |
| 97/1 | 0.377 | 318/13 | 0.202 |
| 97/5 | 0.182 | 318/16 | 0.280 |
| 276/2 | 0.131 | 318/17 | 0.110 |
| 255/4 | 0.065 | 318/19 | 0.202 |
| 109/4 | 0.053 | 318/47 | 0.339 |
| 125 | 0.069 | 318/10 | 0.405 |
| 127 | 0.599 | 318/11 | 0.283 |
| 134/9 | 0.242 | 318/12 | 0.405 |
| 147/1 | 0.263 | 318/14 | 0.405 |
| 121/1 | 0.016 | 318/15 | 0.405 |
| 147/2 | 0.611 | 318/20 | 0.202 |
| 31/8 | 0.021 | 318/21 | 0.809 |
| 31/9 | 0.021 | 318/22 | 1.243 |
| 31/10 | 0.022 | 318/23 | 0.132 |
| 33/8 | 0.022 | 318/25 | 0.446 |
| 36/22 | 0.014 | 318/27 | 0.566 |
| 36/26 | 0.010 | 318/28 | 0.486 |
| 36/34 | 0.029 | 318/29 | 0.405 |
| 36/30 | 0.033 | 318/30 | 0.202 |
| 36/38 | 0.048 | 318/31 | 0.283 |
| 36/42 | 0.035 | 318/33 | 0.405 |
| 36/46 | 0.023 | 318/34 | 1.497 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---|---|---|---|
| 318/35 | 0.486 | 53/3 | 0.038 |
| 318/36 | 0.486 | 61/11 | 0.141 |
| 318/37 | 0.607 | 61/12 | 0.048 |
| 318/38 | 0.486 | 61/13 | 0.012 |
| 318/39 | 0.405 | 308/1 | 0.091 |
| 318/40 | 0.486 | 312/14 | 0.137 |
| 318/41 | 0.202 | 312/15 | 0.038 |
| 318/42 | 0.320 | 24/2 | 0.808 |
| 318/43 | 0.531 | 82 | 0.219 |
| 52/1 | 0.016 | 83/2 | 0.121 |
| 53/1 | 0.123 | 27/3 | 0.138 |
| 61/1 | 0.367 | 27/5 | 0.117 |
| 61/2 | 0.016 | 91 | 0.128 |
| 61/3 | 0.176 | 29/1 | 0.247 |
| 61/4 | 0.120 | 295/1 | 0.672 |
| 61/5 | 0.040 | 299/1 | 0.049 |
| 51/48 | 0.040 | 299/4 | 0.008 |
| 53/8 | 0.047 | 309/1 | 0.874 |
| 61/22 | 0.405 | 29/2 | 0.097 |
| 61/23 | 0.078 | 295/3 | 0.158 |
| 242/2 | 0.188 | 36/6 | 0.170 |
| 61/24 | 0.282 | 36/12 | 0.188 |
| 312/32 | 0.155 | 36/21 | 0.137 |
| 312/33 | 0.036 | 30/3 | 0.385 |
| 312/34 | 0.215 | 38/3 | 0.198 |
| 312/35 | 0.119 | 38/5 | 0.154 |
| 312/36 | 0.188 | 38/10 | 0.113 |
| 51/22 | 0.062 | 38/14 | 0.121 |
| 51/23 | 0.100 | 38/20 | 0.129 |
| 51/24 | 0.028 | 38/22 | 0.008 |
| 51/25 | 0.025 | 38/26 | 0.113 |
| 51/26 | 0.135 | 38/24 | 0.081 |
| 51/27 | 0.050 | 38/28 | 0.182 |
| 53/4 | 0.046 | 38/30 | 0.072 |
| 61/14 | 0.141 | 38/12 | 0.065 |
| 61/15 | 0.193 | 31/1 | 0.021 |
| 61/16 | 0.080 | 31/6 | 0.021 |
| 61/17 | 0.056 | 31/7 | 0.022 |
| 312/16 | 0.180 | 33/7 | 0.022 |
| 312/17 | 0.095 | 36/1 | 0.014 |
| 51/16 | 0.100 | 36/7 | 0.010 |
| 51/17 | 0.036 | 36/16 | 0.033 |
| 51/18 | 0.025 | 36/17 | 0.028 |
| 51/19 | 0.046 | 36/18 | 0.048 |
| 51/20 | 0.100 | 36/19 | 0.035 |
| 51/21 | 0.094 | 36/20 | 0.023 |
| 52/2 | 0.008 | | |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 255/8 | 0.010 |
| 255/9 | 0.021 |
| 255/10 | 0.013 |
| 31/2 | 0.320 |
| 36/4 | 0.093 |
| 31/3 | 0.109 |
| 36/31 | 0.032 |
| 36/35 | 0.030 |
| 36/39 | 0.048 |
| 36/43 | 0.035 |
| 36/47 | 0.023 |
| 109/7 | 0.063 |
| 255/12 | 0.010 |
| 255/16 | 0.021 |
| 255/20 | 0.014 |
| 31/14 | 0.021 |
| 31/15 | 0.021 |
| 31/16 | 0.022 |
| 31/18 | 0.021 |
| 36/24 | 0.014 |
| 36/28 | 0.009 |
| 36/32 | 0.032 |
| 36/36 | 0.029 |
| 36/40 | 0.041 |
| 36/44 | 0.035 |
| 36/48 | 0.024 |
| 109/8 | 0.063 |
| 255/13 | 0.009 |
| 255/21 | 0.014 |
| 31/17 | 0.021 |
| 31/12 | 0.021 |
| 31/19 | 0.019 |
| 33/9 | 0.022 |
| 36/25 | 0.013 |
| 36/33 | 0.032 |
| 36/37 | 0.029 |
| 36/41 | 0.049 |
| 36/49 | 0.024 |
| 36/45 | 0.034 |
| 109/9 | 0.063 |
| 255/14 | 0.010 |
| 255/18 | 0.021 |
| 255/22 | 0.014 |
| 148/3 | 0.174 |
| 309/2 | 0.061 |
| 150/2 | 0.036 |
| 151 | 0.081 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 288/1 | 0.020 |
| 30/1 | 0.366 |
| 244/1 | 0.090 |
| 244/2 | 0.258 |
| 318/55 | 0.405 |
| 318/66 | 0.160 |
| 318/44 | 0.283 |
| 318/51 | 0.405 |
| 318/52 | 0.405 |
| 318/53 | 0.404 |
| 318/54 | 0.446 |
| 318/60 | 0.485 |
| 318/61 | 0.254 |
| 318/67 | 0.151 |
| 318/62 | 0.203 |
| 318/63 | 0.202 |
| 318/64 | 0.405 |
| 321/2 | 0.304 |
| 299/5 | 0.060 |
| 309/3 | 0.178 |
| 321/3 | 0.662 |
| 258/1 | 0.201 |
| 51/49 | 0.030 |
| 51/50 | 0.088 |
| 51/51 | 0.077 |
| 51/52 | 0.260 |
| 51/53 | 0.081 |
| 51/54 | 0.064 |
| 51/55 | 0.060 |
| 51/56 | 0.143 |
| 51/57 | 0.068 |
| 51/58 | 0.108 |
| 51/59 | 0.128 |
| 51/60 | 0.062 |
| 51/61 | 0.036 |
| 52/4 | 0.017 |
| 53/9 | 0.123 |
| 61/26 | 0.233 |
| 61/27 | 0.282 |
| 51/9 | 0.113 |
| 51/10 | 0.120 |
| 51/11 | 0.149 |
| 51/12 | 0.145 |
| 51/13 | 0.067 |
| 51/14 | 0.064 |
| 51/15 | 0.209 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---|---|---|---|
| 53/2 | 0.140 | 241 | 0.033 |
| 61/6 | 0.322 | 21/1 | 0.473 |
| 61/7 | 0.282 | 31/4 | 0.102 |
| 312/1 | 0.270 | 31/5 | 0.102 |
| 312/3 | 0.119 | 36/8 | 0.113 |
| 312/4 | 0.077 | 36/9 | 0.073 |
| 312/5 | 0.049 | 36/11 | 0.073 |
| 312/6 | 0.093 | 36/10 | 0.101 |
| 312/7 | 0.094 | 36/13 | 0.166 |
| 312/8 | 0.285 | 36/14 | 0.081 |
| 312/9 | 0.093 | 36/15 | 0.064 |
| 312/10 | 0.130 | 255/1 | 0.045 |
| 312/11 | 0.053 | 255/6 | 0.049 |
| 312/12 | 0.056 | 255/5 | 0.045 |
| 320/1 | 0.222 | 255/7 | 0.162 |
| 319/1 | 0.174 | 36/5 | 0.202 |
| 319/13 | 0.130 | 71 | 0.271 |
| 61/25 | 0.282 | 72 | 0.259 |
| 242/3 | 0.188 | 73/3 | 0.040 |
| 312/38 | 0.150 | 73/5 | 0.020 |
| 312/37 | 0.068 | 36/2 | 0.405 |
| 312/39 | 0.078 | 64/7 | 0.210 |
| 312/40 | 0.200 | 68/2 | 0.117 |
| 312/41 | 0.185 | 86 | 0.223 |
| 287 | 0.028 | 88 | 0.182 |
| 97/4 | 0.182 | 277/3 | 0.081 |
| 252/1 | 0.890 | 310/2 | 0.328 |
| 249/5 | 0.129 | 37/1 | 0.104 |
| 81/3 | 0.218 | 60 | 0.117 |
| 134/9 | 0.242 | 95 | 0.474 |
| 249/1 | 0.154 | 114/1 | 0.040 |
| 249/8 | 0.126 | 39/1 | 0.113 |
| 34/1 | 0.198 | 40/1 | 0.045 |
| 275/6 | 0.032 | 42 | 0.154 |
| 277/1 | 0.081 | 47/1 | 0.182 |
| 277/2 | 0.081 | 66/5 | 0.024 |
| 249/7 | 0.244 | 70/2 | 0.162 |
| 249/9 | 0.044 | 70/4 | 0.275 |
| 262/2 | 0.162 | 274/4 | 0.065 |
| 154/2 | 0.126 | 39/2 | 0.202 |
| 318/6 | 0.093 | 40/3 | 0.040 |
| 310/3 | 0.077 | 66/1 | 0.024 |
| 301 | 2.489 | 70/1 | 0.304 |
| 154/1 | 0.073 | 70/3 | 0.134 |
| 318/4 | 0.350 | 110/2 | 0.291 |
| 86 | 0.182 | 274/2 | 0.024 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---|---|---|---|
| 37/1 | 0.104 | 61/8 | 0.052 |
| 245/1 | 0.529 | 61/9 | 0.133 |
| 266/1 | 0.509 | 61/10 | 0.044 |
| 297/1 | 1.445 | 51/45 | 0.072 |
| 304/1 | 0.615 | 51/46 | 0.123 |
| 319/2 | 0.024 | 51/47 | 0.084 |
| 273/3 | 0.049 | 53/7 | 0.047 |
| 273/4 | 0.049 | 312/26 | 0.128 |
| 275/7 | 0.085 | 312/27 | 0.038 |
| 275/4 | 0.040 | 312/28 | 0.160 |
| 275/5 | 0.040 | 312/29 | 0.051 |
| 282 | 0.162 | 312/30 | 0.087 |
| 283 | 0.089 | 312/31 | 0.057 |
| 306 | 0.295 | 51/32 | 0.106 |
| 111/15 | 0.073 | 51/33 | 0.066 |
| 254 | 0.535 | 51/34 | 0.061 |
| 293/1 | 0.577 | 31/35 | 0.115 |
| 253/1 | 0.108 | 51/36 | 0.045 |
| 260/1 | 0.068 | 51/62 | 0.046 |
| 260/3 | 0.261 | 51/63 | 0.062 |
| 294/2 | 0.229 | 51/64 | 0.380 |
| 294/3 | 0.159 | 51/65 | 0.110 |
| 296/1 | 0.182 | 51/66 | 0.275 |
| 253/2 | 0.106 | 51/67 | 0.092 |
| 260/4 | 0.181 | 51/68 | 0.142 |
| 260/5 | 0.070 | 53/10 | 0.140 |
| 294/4 | 0.290 | 61/28 | 0.040 |
| 294/5 | 0.144 | 61/29 | 0.303 |
| 296/2 | 0.202 | 61/30 | 0.080 |
| 253/3 | 0.130 | 61/31 | 0.124 |
| 260/6 | 0.360 | 51/37 | 0.081 |
| 260/7 | 0.065 | 51/38 | 0.110 |
| 294/6 | 0.089 | 51/39 | 0.110 |
| 296/3 | 0.193 | 51/40 | 0.088 |
| 290 | 2.023 | 51/41 | 0.145 |
| 305 | 0.991 | 51/42 | 0.049 |
| 17 | 3.214 | 51/43 | 0.104 |
| 12 | 1.788 | 51/44 | 0.052 |
| 23/7 | 2.106 | 52/3 | 0.008 |
| 104/2 | 0.135 | 53/6 | 0.038 |
| 149/2 | 0.118 | 61/20 | 0.128 |
| 251/3 | 0.445 | 61/21 | 0.120 |
| 263/2 | 0.045 | 312/22 | 0.048 |
| 265/2 | 0.560 | 312/23 | 0.058 |
| 270/2 | 0.467 | 312/24 | 0.115 |
| 315/2 | 0.124 | 284 | 0.259 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 138/2 | 0.113 |
| 28 | 0.555 |
| 58 | 2.253 |
| 292 | 1.105 |
| 298 | 0.413 |
| 307 | 0.255 |
| 114/2 | 0.454 |
| 116 | 0.409 |
| 66/3 | 0.129 |
| 37/2 | 0.230 |
| 70/6 | 0.809 |
| 272 | 0.040 |
| 278 | 0.081 |
| 299/2 | 0.032 |
| 299/3 | 0.089 |
| 4/1 | 0.158 |
| 300/1 | 0.097 |
| 310/1 | 0.405 |
| 273/1 | 0.024 |
| 154/7 | 0.025 |
| 249/3 | 0.008 |
| 255/2 | 0.130 |
| 256/2 | 0.231 |
| 257 | 0.032 |
| 318/56 | 0.405 |
| 318/59 | 0.405 |
| 314 | 0.206 |
| 256/1 | 0.206 |
| 70/3 | 0.134 |
| 2 | 0.651 |
| 90/3 | 0.530 |
| 98/2 | 1.779 |
| 133/2 | 0.310 |
| 113 | 2.492 |
| 99/12 | 0.393 |
| 99/3 | 0.530 |
| 99/4 | 0.234 |
| 99/5 | 0.032 |
| 99/13 | 0.546 |
| 99/7 | 0.308 |
| 99/10 | 0.316 |
| 99/8 | 0.559 |
| 99/11 | 0.863 |
| 24/3 | 0.105 |
| 303 | 0.385 |
| 64/3 | 0.008 |
| 64/6 | 0.036 |
| 65/1 | 0.313 |
| 321/1 | 0.101 |
| 150/3 | 0.038 |
| 235/4 | 0.080 |
| 150/1 | 0.039 |
| 312/25 | 0.039 |
| 51/28 | 0.095 |
| 51/29 | 0.108 |
| 51/30 | 0.142 |
| 20/4 | 0.141 |
| 100/2 | 0.127 |
| 99/2 | 0.320 |
| 80/2 | 0.101 |
| योग 616 | 143.316 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**मुकेश बंसल,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

# उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

## HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 25th June 2013

No. 364/Confdl./2013/II-2-4/2002.—The following Judicial Officers of Higher Judicial Service, as specified in column No. (2) of the table below, in whose favour a certificate was issued vide Registry Order No. 410/Confdl./2012/II-2-4/2002, dated 30-07-2012, are, hereby, confirmed in Higher Judicial Service from the date mentioned in column No. (3) :—

TABLE

| S. No. (1) | Name of Judicial Officer (2) | Date of Confirmation (3) |
|---|---|---|
| 1. | Shri Jagdamba Rai | 03-05-2013 |
| 2. | Shri Arvind Kumar Verma | 01-06-2013 |
| 3. | Shri Onkar Prasad Gupta | 17-06-2013 |
| 4. | Shri Santosh Sharma | 17-06-2013 |
| 5. | Shri Rajesh Kumar Shrivastava | 17-06-2013 |
| 6. | Smt. Sushma Sawant | 17-06-2013 |
| 7. | Shri Hemant Kumar Agrawal | 17-06-2013 |
| 8. | Shri Sudhir Kumar | 17-06-2013 |
| 9. | Shri Ramashankar | 17-06-2013 |
| 10. | Shri Rajnish Shrivastava | 17-06-2013 |
| 11. | Shri Balram Prasad Verma | 17-06-2013 |

By order of the High Court,
ASHOK PANDA, Registrar General.